न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण
सूरजदेवी पत्नी नोरतमल जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी कंकेड़ियास तह. परबतसर		तहसीलदार, परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

मुकदमां नम्बर :– 2022 / 56 आदेश दिनांक :– 14.03.2022

आदेश

प्रार्थी की आरे से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि कंकेड़ियास के खसरा नम्बर 141 रकबा 1.86 हैक्टयर, खसरा न्म्बर 142 रकबा 1.29 हैक्टयर, 143 रकबा 1.29 हैक्टयर स्थित है में प्रार्थीनी का नाम सरजूदेवी पत्नी नोरतमल दर्ज है जबकि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम सूरजदेवी पत्नी नोरतमल है। प्रार्थीनी के अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम सूरजदेवी दर्ज है। दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड में नाम में भिन्नता होने से प्रार्थीनी को भारी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सम्बन्ध में अप्रार्थीगण एवं राजपैरोका तहसीलदार परबतसर ने इकबालिया जबाब / राजीनामा पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है तो अप्रार्थीगण / राजपैरोकार तहसीलदार परबतसर को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात से भी प्रार्थीगण का सही नाम सूरजदेवी होना प्रतीत होता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक अदालत की भावना स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कंकेड़ियास के खसरा नम्बर 141, 142, 143 में प्रार्थीगण का नाम सरजूदेवी के स्थान पर सूरजदेवी दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार परबतसर को तहरीर जारी हो।

14/3/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)